न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नीतू मीना (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या .91/2024 उनवान गजराज वगै0 बनाम कल्याण वगैरह:

1. गजराज चौधरी पुत्र श्री रामेश्वर लाल चौधरी, उम्र लगभग बालिया घर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
2. गोविन्द पुत्र सुगना उम्र लगभग बालिग वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
3. रामस्वरूप पुत्र सुमना उम्र लगभग वातिवर्ष, जाति जाट निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

1. कल्याण पुत्र रतना, जाति जाट, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई. जिला अजमेर, राजस्थान
2. कोना पुत्र श्रवण, जाति जाट, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
3. किशना पुत्र श्रवण जाति जाट, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई. जिला अजमेर, राजस्थान
4. गोपाल पुत्र हरकिशन जाति जाट, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई. जिला अजमेर, राजस्थान
5. छोटू पुत्र लादू जाति जाट, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान
6. रंगलाल पुत्र श्रवण जाति जाट, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई. जिला अजमेर, राजस्थान
7. शिवराज पुत्र श्रवण जाति जाट, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई. जिला अजमेर, राजस्थान

8.फूत्तर देवी पत्नि स्व. श्री नोरता जाति जाट, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

9.लालाराम जाट पुत्र स्व. श्री नोरता जाति जाट, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

10. पप्पुडी देवी पुत्री स्व. श्री नोरता जाति जाट, निवासी ग्राम लाम्बा. तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
11. सन्जू पुत्री स्व. श्री नोरता जाति जाट, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
12. मन्जु पुत्री स्व. श्री नोरता जाति जाट, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान
13. ज्ञाना पुत्री स्व. श्री नोरता जाति जाट, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
14. श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील अरांई.

– अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 8/8/25.......

1. प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 18.9.2024 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 91/2024 .पर दर्ज किया गया । प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि वाके ग्राम लाम्बा तहसील अराई के खाता संख्या नये 530 खसरा नं0 1110,1116,1140,1141 कुल किता 4 कुल रकबा 1.5864 हैक्टैयर भूमि स्थित है । पर बदस्तूर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहें है, तथा प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अमल दरामद है तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में भी प्रार्थीगण की भूमि का इन्द्राज चला आ रहा है।
2. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 ग्राम लाम्बा स्थित खसरा संख्या 1143 क्षेत्रफल 1.8130 हैक्टेयर भूमि के रिकार्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार है, उक्त भूमि खसरा संख्या 1143 प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 1141 के पूर्व दिशा में स्थित है।
3. तथा प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 1141 के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 1140 की भूमि है जो प्रार्थीगण की ही सहखातेदारी कृषि भूमि है। तथा प्रार्थीगण की भूमि 1141 के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 2452/1141 किस्म बंजर 2 है जो सरकारी भूमि है। तथा अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 13 ग्राम लाम्बा स्थित खसरा संख्या 1138 क्षेत्रफल 1.8696 हैक्टेयर भूमि के रिकार्डड खातेदार, काबिज काश्तकार है, उक्त भूमि खसरा संख्या 1138 प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 1141 के उत्तर दिशा

में स्थित है। उक्त खसरा संख्या 1138 के खातेदार नोरता पुत्र लादू का देहावसान हो जाने से उनके विधिक वारिसान् अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 13 है जिन्हें अप्रार्थीगण के रूप मे संयोजित किया गया है। तथा प्रार्थीगण की भूमि 1141 के दक्षिण, पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 1139 की भूमि है जो श्मशान भूमि होकर सरकारी भूमि है।

कृषि भूमि खसरा संख्या 1140 :– तथा प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 1140 के दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 1141 की भूमि है जो प्रार्थीगण की ही सहखातेदारी कृषि भूमि है।

तथा प्रार्थीगण की भूमि 1140 के पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर दिशा में खसरा संख्या 2452/1141 किस्म बंजर 2 है जो सरकारी भूमि है।

प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहें हैं किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 13 के मध्य सीमा विवाद होने के कारण आये दिन प्रार्थी के साथ उसके खातेदारी भूमि के कृषि ममि पर विवाद उत्पन्न करते है । जिससे प्रार्थी काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। यह है कि प्रार्थीगण गरीब व वृद्ध काश्तकार है जो अपने व अपने परिवार का लालन पालन उपरोक्त आराजी से करतें हैं जिसमें से अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से मेड सींव का विवाद करते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष सदभाविक रूप से पत्थरगढी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थी की वाके ग्राम लाम्बा तहसील अराई के खाता संख्या नये 530 खसरा नं0 1110,1116,1140,1141 कुल किता 4 कुल रकबा 1.5864 हैक्टैयर भूमि की सीमाओं का भोतिक सत्यापन करवाकर पत्थरगढी करने के प्रार्थी के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

4. दिनाकं 28.3.2025 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। तामिलशुदा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 13 की और से कोई उपस्थित नही हुये। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 की दिनांक 28.3..2025 को बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने द्वारा समय पर जवाब पेश नहीं करने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई।

5. दिनांक 8.8.2025 को पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस मे वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व आधिपत्य की जमीन ग्राम लाम्बा तहसील अराई के खाता संख्या नये 530 खसरा नं0 1110,1116,1140,1141 कुल किता 4 कुल रकबा 1.5864 हैक्टैयर भूमि है। उक्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम ही दर्ज है तथा उक्त भूमि पर वर्तमान में प्रार्थी की कब्जा काश्त है। यह है कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित खातेदारी की भूमि के चारो दिशाओं में अप्रार्थीगण की भूमि है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहें हैं किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 70 एवं परिवारजन द्वारा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं जिससे प्रार्थीया काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थी की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। प्रार्थीकी श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थी की खातेदारी की ग्राम लाम्बा तहसील अराई के खाता संख्या नये 530 खसरा नं0 1110,1116,1140,1141 कुल किता 4 कुल रकबा 1.5864 हैक्टैयर भूमि का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

6. हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई अतः उपरोक्त विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम लाम्बा तहसील अराई के खाता संख्या नये 530 खसरा नं0 1110,1116,1140,1141 कुल किता 4 कुल रकबा 1.5864 हैक्टैयर भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1000/–रु अक्षरे एक हजार रूपये मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/– रु जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर तथा पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक ...8/8/25......... को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(नीतू मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)